



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223359
CG-DL-E-27112020-223359

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3734]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/अग्रहायण 5, 1942

No. 3734]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

का.आ. 4238(अ).—केन्द्र सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झारखण्ड राज्य के बोकारो एवं रामगढ़ जिले में कोल बेड मिथेन गैस के परिवहन के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिये;

और केन्द्र सरकार को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है तथा जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

अतः अब, केन्द्र सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाईपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, इस अधिसूचना का भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशन (राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं) से इक्कीस (21) दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप कुमार (झा०प्र०से०) सक्षम प्राधिकार, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सी बी एम परिसम्पत्ति बोकारो, प्रथम तल्ला, एच एस सी एल भवन, नया मोड़ बोकारो- 827 001, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकते हैं।

अनुसूची

राज्य : झारखंड

जिला	अंचल/तहसील	मौजा का नाम एवं थाना सं.	खेसरा सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
बोकारो	गोमिया	गोमिया - 110	1819	00	05	60
		ओचो - 109	165	00	00	30
			473	00	04	50
			474	00	02	00
		सियारी - 99	176	00	03	00
			177	00	05	50
			180	00	02	80
			181	00	00	30
			931	00	07	70
		पलिहारीगुरुडीह - 108	502	00	01	30
			515	00	05	00
			520	00	01	10
		हजारी - 112	2878	00	02	70
			2880	00	01	00
			2882	00	04	30
		महलीबांध - 113	462	00	01	20
			464	00	03	50
			465	00	04	20
			466	00	11	90
		भुरकुराडवाटांड - 144	45	00	12	90
			46	00	02	00
			109	00	00	60
		होसिर - 123	643	00	01	10
			645	00	03	90
			649	00	00	80
		खुदगड़ा - 111	1543	00	32	10
			1544	00	06	80
			1545	00	11	80
			1641	00	34	50
			1701	00	28	40
			1702	00	02	50
			1703	00	32	40
			1704	00	00	80
			1705	00	11	40
बोकारो	गोमिया	खुदगड़ा - 111 (जारी.....)	1706	00	07	30
			1708	00	78	00

1	2	3	4	5	6	7
			1956	00	31	00
			2023	00	11	50
बोकारो	बेरमो	बोड़ैया - 115	919	00	01	60
रामगढ़	मान्डू	बोंगाहारा - 120	687	00	01	30
			685	00	01	50
			686	00	00	40
		केरीबन्दा - 124	283	00	08	10

[फा. सं. ओ.-Expl-11032(11)/58/2020-Expl-1-PNG]

कुलदीप कुमार, अवसर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

S.O. 4238(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that pipelines should be laid within the State of Jharkhand in the District of Bokaro and Ramgarh for the transportation of Coal Bed Methane (CBM) Gas by Oil and Natural Gas Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in Land under which the said pipelines are proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the annexed schedule may, within twenty one (21) days from the date of publication of this notification in the Extraordinary Gazette of India (copies of the notification published in the gazette would be made available to the general public), object in writing to the Acquisition of the Right of User therein for laying of the pipelines under the land to Shri Sandip Kumar (J.A.S), Competent Authority, Oil and Natural Gas Corporation Limited, CBM Asset, Bokaro, 1ST floor HSCL Building, near Nayamore, Bokaro -827 001

SCHEDULE

State: Jharkhand

District	Anchal /Tehsil	Name of the Mouza and Thana No.	Khasra No.	Area		
				Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6	7
Bokaro	Gumia	Gumia - 110	1819	00	05	60
		Ocho - 109	165	00	00	30
			473	00	04	50
			474	00	02	00
		Siari - 99	176	00	03	00
			177	00	05	50
			180	00	02	80
			181	00	00	30
			931	00	07	70
		Palihari Gurudih -108	502	00	01	30
			515	00	05	00
			520	00	01	10
		Hazari - 112	2878	00	02	70
			2880	00	01	00
			2882	00	04	30

1	2	3	4	5	6	7
		Mahlibandh - 113	462	00	01	20
			464	00	03	50
			465	00	04	20
			466	00	11	90
		Bhurkundwatanr - 114	45	00	12	90
			46	00	02	00
			109	00	00	60
		Hosir - 123	643	00	01	10
			645	00	03	90
			649	00	00	80
		Khudgara - 111	1543	00	32	10
			1544	00	06	80
			1545	00	11	80
			1641	00	34	50
			1701	00	28	40
			1702	00	02	50
			1703	00	32	40
			1704	00	00	80
			1705	00	11	40
			1706	00	07	30
			1708	00	78	00
			1956	00	31	00
			2023	00	11	50
Bokaro	Bermo	Borea - 115	919	00	01	60
Ramgarh	Mandu	Bongahara - 120	687	00	01	30
			685	00	01	50
			686	00	00	40
		Keribanda - 124	283	00	08	10

[F. No. O-Expl-11032(11)/58/2020-Expl-1-PNG]

KULDEEP KUMAR, Under Secy.